न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :–श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या : 04/2025
अनवान मुकदमा :–
इन्द्राज पुत्र श्री चन्दूराम जाति सुथार निवासी चक 10 एम.जेड.डब्ल्यू. रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज0)।
–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थित :– श्री अर्जुनलाल वर्मा वकील –प्रार्थी
राजपेरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक- 29.12.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वकील प्रार्थी ने दिनांक 26.06.2025 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्टइस प्रकार पेश किया किप्रार्थी के पिता चन्दू पुत्र जगू जाति सुथार साकिन रावतसर के नाम की कृषि भूमि ग्राम 22 ए.जी. तहसील रावतसर के प.न. 165/378(1) के किला न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 166/378(2) के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.5300 है0 कुल दोनो पत्थरों की 3.7950 है0 भूमि सन् 1955 से पूर्व की भूमि थी। प्रार्थी के पिता चन्दू पुत्र जगू का देहान्त हो चुका हैं। नई जमाबंदी बनाते समय उक्त भूमि में दर्ज आ. का. 1955 से पूर्व का नोट का अंकन की जगह गैर खातेदार दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। इस कारण प्रार्थी चक 23 ए.जी. के खाता संख्या 68/66 की भूमि में दर्ज गैर खातेदार के स्थान पर आ. का. 1955 से पूर्व का अंकन करवाने का अधिकारी है।प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार कहा कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के पिता के नाम की भूमि में दर्ज गैखातेदार के स्थान पर आ. का. 1955 से पूर्व का अंकन कर देवे, जिस पर अप्रार्थी आज कल–आज कल करते समय निकालता रहा, आखिर आज से दो रोज पूर्व अप्रार्थी ने ऐसा करने से बमुकाम रावतसर में इन्कार कर दिया। यही कारण प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज फोटोप्रति पर्चा खतौनी 23 एजी बहक चन्दु पुत्र जगु, नकल पर्चा खतौनी 23 एजी बहक चन्दू पुत्र जगु, जमाबन्दी वर्तमान जमाबन्दी 23 एजी बहक चन्दु पुत्र जगू पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजपेरोकार ने राज्यपक्ष में ज[illegible] किया। अपने जबाब में राजपेरोकार ने प्रार्थना पत्र की मद स[illegible]ार, मद सं. 3 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर, मद सं. 4 को [illegible] बताते हुए जबाब के अन्त में राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जाना [illegible]त होना बताया। तहसीलदार राजस्व रावतसर से वाद भूमि बाबत रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार रावतसर से रिपोर्ट प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.12.30 18:29:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

हुई। मुताबिक रिपोर्ट "चक 23 एजी के खाता सं. 68 की 3.795 है. भूमि चन्दु पुत्र जगू हिस्सा पूर्ण जाति सुथार निवासी रावतसर गैर खातेदार (आ.का.बाद का) दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड उक्त भूमि पर स्थगन आदेश नहीं है। श्रीमान जी मुताबिक पर्चा खतौनी उक्त रकबा 1955 से पहले का दर्ज है। उसके बाद की जमाबन्दीयों से वर्तमान जमाबन्दी में उक्त रकबा आ का बाद का दर्ज है।"

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दूसरी तरफ राजपेरोकार ने अपनी बहस में रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व रिपोर्ट तहसीलदार से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि आ0का0 पूर्व की भूमि है जिसका वर्तमान में आ0का0 पूर्व के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज हो गया। जिसे वादी दुरूस्त करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुऐ चक 23 ए.जी. के खाता संख्या 68/66 के प.न. 165/378(1) के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 व प.न. 166/378(2) के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.5300 है0 कुल 3.7950 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चन्दू पुत्र जगू हिस्सा पूर्ण जाति सुथार निवासी रावतसर गैरखातेदार के स्थान पर चन्दू पुत्र जगू कौम सुथार साकिन रावतसर आ0 का0 1955 से पूर्व का दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद हेतु तहसीलदार राजस्व रावतसर को पत्र लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास आज दिनांक 29.12.2025 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.12.30 18:29:28 IST
Reason: SelfAttested